अध्याय 2 (मैन्युअल- बी-xvii)

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए
(such other information as may be prescribed)

संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए वनों एवं उनके आसपास निवास करने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 राजपत्र में अधिसूचित किया गया है] जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है :-

(1) वन सुरक्षा समिति: सघन वन क्षेत्र में वनखंड सीमा की 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समिति को "वन सुरक्षा समिति" कहा जाता है। वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई चराई एवं अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा करती है तथा इसकी एवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज] रॉयल्टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत लाभांश प्राप्त होता है।

(2) ग्राम वन समिति:बिगडे वनक्षेत्रों में वनखण्ड की सीमा से पॉच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली समिति को "ग्राम वन समिति" कहा जाता है। ग्राम वन समिति के सहयोग से पुनस्र्थापित होने पर आवंटित वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त लघु वनोपज एवं काष्ठ अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर ग्राम वन समिति को प्रदाय करने का प्रावधान है।

(3) ईको विकास समिति: जैव विविधता के संरक्षण हेतु गठित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य बफर क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में "ईको विकास समिति" गठित करने का प्रावधान है। इन समितियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान का कार्य ईको विकास कार्यक्र के तहत किया जाता है।

संकल्प के अनुसार ग्रामसभा स्तर पर वन प्रबंधन से जुडने के लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा-6 के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करके, वनक्षेत्र की स्थिति के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समिति का 5 वर्ष की अवधि के लिए गठन किया जाता है। अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अधिसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व यथासंभव, ग्रामसभा में इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतक 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। प्रदेश में वन समितियों की कुल संख्या 15608 है, जिनके द्वारा 79705 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

समितियों एवं कार्यों का विवरण

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित क्षेत्र
ग्राम वन समिति	9784	37799 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4773	36377 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	1051	5529 वर्ग किमी
योग -	**15608**	**79705** वर्ग किमी

1. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण -

- ग्राम वन नियम, 2015 - आरक्षित वनों के प्रबंधन में अच्छा कार्य करने वाली वन समितियों को सशक्त करने के लिये म.प्र. राजपत्र में 4 जून, 2015 को ग्राम वन नियम का प्रकाशन किया गया।

- संरक्षित वन प्रबंधन नियम, 2015 - संरक्षित वनों के प्रबंधन में अच्छा कार्य करने वाली वन समितियों को सशक्त करने के लिए म.प्र. राजपत्र 04 जून, 2015 को म.प्र. संरक्षित वन नियम का प्रकाशन किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत 108 समितियों को आवंटित 24467.021 हेक्टेयर संरक्षित वनों को संबंधित कलेक्टर द्वारा ग्राम वन समितियों से संबद्ध करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

2. काष्ठ एवं बांस विदोहन का लाभांश वितरण -

- काष्ठ का लाभांश - जिला स्तर पर काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जाता है।
- बांस का लाभांश - प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया जाता है।

विगत पांच वर्षो में लाभांश का वितरण का जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रूपये करोड़ में)

वर्ष	काष्ठ	बांस	कुल
2016-17	35.94	3.28	39.22
2017-18	52.58	0.51	53.09
2018-19	19.18	0	19.18
2019-20	22.56	11.39	33.95
2020-21	10.37	00.03	10.40

सूक्ष्म प्रबंध योजना के माध्यम से समितियों का सशक्तिकरण :-

वर्ष 2020-21 में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत 500 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाएं स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 546 ग्राम वन समितियों की सूक्ष्म प्रबंध योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर समितियों के माध्यम से उपचार संपन्न कराया गया है। संकल्प के प्रावधानों के अनुसार सफाई एवं विरलन से प्राप्त समस्त वनोपज वन समिति को प्रदान की गयी है। इस रणनीति को लागू करने से समाज के सबसे गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा। वनों के आसपास रहने वाले समुदाय एवं विशेषकर आदिवसासी समुदाय में सर्वाधिक परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत करते है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वनों के प्रबंधन से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। प्रदेश के अन्तर्गत 553 सूक्ष्म प्रबंध योजनाऐं स्वीकृति की गई है, जिससे 2783 घ.मी. काष्ठ, 6670 नो.टन बांस,4241 जलाऊ चटटे तथा 241 टन घास का उत्पादन हुआ है। प्राप्त वनोपज का अनुमानित मूल्य 7.31 करोड़ है।

ग्रीन इंडिया मिशन -

प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर 8 एल -1 लैंडस्कैप की पहचान की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले 20 वनमण्डलों में 127 एल-2 लेवल लैण्डस्केप (मिलीवाटरशेड) के 745 एल-3 लेवल लैण्डस्केप (माइक्रो वाटरशेडों) शामिल है।

वित्तीय व्यवस्था -

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित छंजपवदंस म्गमबनजपअम ब्वनदबपस चैथी बैठक दिनांक 03.01.2018 में मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालीन परियोजना (पांच वर्षीय पर्सपक्टीव प्लान) रूपये 3157.36 करोड़ 3,40,700 हे. की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी के साथ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 के लिए ए.पी.ओ. रूपये 396.7258 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में (60:40 के अनुपात) में क्रियांवित किया जाना निर्धारित है।

जी.आई.एस (औगोलिक सूचना प्रणाली) -

ग्रीन इंडिया मिशन एवं ईएसआईपी परियोजना अन्तर्गत चिन्हित वनमंडलों में उपचारित वनक्षेत्रों की ऑनलाईन निगरानी हेतु जीआईएम लैन्डस्केप पोर्टल तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत 20 वनमंडलों के

वनक्षेत्रों का डिजिटल डेटा (वनमंडल, रेंज, बीट एवं कम्पार्टमेंट बाऊंड्री) एवं एल-2, एल-3 लेवल लैन्डस्केप बाऊंडी (मिली वाटरशेड, माईक्रोवाटरशेड) विभागीय जीआईएस पोर्टल पर पब्लिश किया गया है। जीआईएम लैन्डस्केप पोर्टल पर ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत उपचारित किये जाने वाले समस्त वनक्षेत्रों (वृक्षारोपण) की KML फाईल तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। मिशन अन्तर्गत उपचारित (वृक्षारोपण) क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष का पुनरूत्पादन डेटा भी विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसे विभाग की वेबसाइट https://mpforest.gov.in पर ग्रीन इंडिया मिशन के पेज पर देखा जा सकता है। वर्ष 2021 का पुनरूत्पादन डेटा संकलन का कार्य माह अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है। पुनरूत्पादन डेटा उपलब्ध होने पर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

निगरानी एवं मूल्यांकन -

निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अधीन कार्य करती है। मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य में किये गए वृक्षारोपण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु विभाग की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है। वर्तमान में निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण राज्य में मध्यप्रदेश वन विभान द्वारा किये गये वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी -

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु प्रक्षेत्र में क्रमशः बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में सामाजिक वानिकी वन वृत्त स्थापित हैं। सा.वा. वन वृत्त के अंतर्गत संचालित **171** रोपणियों में मानक गुणवत्ता के वानिकी/औषधीय/लघु वनोपज/ संकटापन्न/ विलुप्तप्राय एवं आवश्यकतानुसार क्लोनल/ ग्राफ्टेड/ फलदार पौधे तैयार कर विभागीय वृक्षारोपण एवं अन्य शासकीय/ अशासकीय विभागों, संस्थाओं एवं जनसामान्य को रोपण हेतु प्रदाय किया जाते है।

पौधा तैयारी एवं निवर्तन -

अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों में वर्ष **2022** के रोपण हेतु विभिन्न प्रजातियों के **484.10** लाख पौधे रोपणियों में उपलब्ध है। साथ ही **60** लाख पौधों की तैयारी प्रगति पर है। वर्षा ऋतु **2021** में माह सितंबर तक **395.90** लाख पौधों एवं **6.90** लाख सागौन रूटशूट का निवर्तन रोपणियों से किया गया है। वर्ष **2021** में पौधों के विक्रय से राशि रू. **544.73** लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश के वनों में जैव विविधता बनाये रखने के लिये सा.वा. रोपणियों में दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों के लगभग **60** लाख पौधे तैयार किये गये जिसमें हल्दू, सलई, धामन, तिनसा, शीशम आदि प्रजातियां प्रमुख है। आजादी के **75** वें वर्ष पर अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान-**1** के अंतर्गत अद्यतन स्थिति में प्रदेश में **179** स्थलों पर **7117** पौधों का रोपण किया जा चुका है। सा.वा. वन वृत्त, इंदौर में एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला संचालित। जहाॅं उत्तम गुणवत्ता के बास एवं संकटापन्न प्रजातियों को टिश्यू कल्चर विधि से विकसित किया जा रहा है। सागौन पर भी प्रयोग प्रारंभ किया गया है। वर्ष **2021-22** में **25000** पौधो की तैयारी का कार्य प्रगति पर।

विस्तार वानिकी योजना अंतर्गत वर्षा ऋतु **2021** में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के **7.34** लाख पौधों का रोपण किया गया है। प्रदेश में विभिन्न सुरक्षा बलों के माध्यम से भी **3.06** लाख पौधों का रोपण योजना अंतर्गत किया गया है। "म**0**प्र**0** वनांचल संदेश" नाम से विभागीय गतिविधियों, उल्लेखनीय सफलताओं के संबंध में जनसामान्य को अवगत कराने हेतु एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके **17** संस्करण जारी हो चुके हैं। प्रमुख स्थलों पर रोपणी को ईको-टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर पर्यटको को आकर्षित करते हुए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकवानिकी योजना अंतर्गत वर्ष **2002** से अब तक प्रदेश में लगभग **3020** प्रबंध योजनाएं क्रियान्वित की गई।

भू-प्रबंध -

भारत सरकार ने वर्ष **1980** मे वन (संरक्षण) अधिनियम**, 1980** लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे। इस अधिनियम की धारा-**2** के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैंः-

"किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी**,** कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश**,** केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :-

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में "आरक्षित वन" पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा:

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए:

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।"

किसी भी आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों मे (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भोपाल स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने के बाद दिनांक 25.10.1980 से माह दिसम्बर 2021 तक कुल 1237 प्रकरणों में कुल 286800.5837 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित की गई है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में राज्य शासन/ वनाधिकारियों को प्रदत्त अधिकार -

वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति जारी करने के सम्बन्ध में राज्य शासन/ क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार भारत सरकार से प्रत्यायोजित किये गये हैं:-

(क) भारत सरकार द्वारा दिनांक **28.03.2019** से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय **4** में वन संरक्षण अधिनियम**, 1980** के अंतर्गत शैक्षणिक संस्था**,** अस्पाताल**,** पेयजल सुविधा**,** लघु सिचाई**,** विद्युत उपकेन्द्र**,** मार्ग निर्माण**,** मार्ग चैड़ीकरण**,** पुलिस स्टेशन आदि के कार्यों में **01** हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त किये हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा दिनांक **28.03.2019** से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय **4** में वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के अंतर्गत वामपंथी चरमपंथी जिलों क्रमशः बालाघाट एवं मण्डला के लिये शैक्षणिक संस्था, अस्पाताल, पेयजल सुविधा, लघु सिचाई, विद्युत उपकेन्द्र, मार्ग निर्माण, मार्ग चैड़ीकरण, पुलिस स्टेशन आदि के लिये **05** हेक्टेयर तक वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के अंतर्गत प्रकरणों में राज्य शासन को अधिकार प्रदत्त किये हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, **2006** के अंतर्गत विद्यालय, औषधालय, आंगनबाड़ी, उचित कीमत की दूकानें, विद्युत और दूरसंचार लाईनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति और जल पाईप लाईनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें एवं सामुदायिक केन्द्र कार्यों में **01** हेक्टेयर तक वन भूमि जिसमें **75** वृक्ष प्रति हेक्टेयर होने के स्थिति में व्यपवर्तन की स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को प्रदत्त किये है:-

म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक **17.05.2005** द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे **25.10.1980** के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक **19.09.2006** के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

कैम्पा -

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से प्रतिपूरक रोपण, आवाह क्षेत्र उपचार, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.व्ही.) आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2002/95 टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मे तारीख 30 अक्टूबर 2002 के अपने आदेश मे यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाये। वर्ष 2006 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तारतम्य मे एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2009 मे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये गये। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रबंधन मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार 2017-18 तक किया जाता रहा है।

इस क्रम मे प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन हेतु दिनांक 03.08.2016 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा दिनांक 10.08.2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 (2018 का 38) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत 30 सितम्बर 2018 को मध्यप्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के नाम से राज्य प्राधिकरण का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन ने 17 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8121 साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां" के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129-मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि का गठन किया है।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 मे निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के निधि के प्रबंधन और योजना बनाये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों के गठन के निर्देश हैं।

- माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में - शासी निकाय।
- मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में - राज्य स्तरीय संचालन समिति।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में - राज्य कार्यकारिणी समिति।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/ एफ 19-42/ 2018/ 1/ 4, दिनांक 26.10.2018 से राज्य स्तरीय संचालन समिति (Steering Committee) तथा आदेश क्रमांक एफ-3-22/ 2018/ 10-2, दिनांक 25.10.2018 द्वारा कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/ एफ 19-52/ 2018/ 1/ 4, दिनांक 15.01.2019 से शासी निकाय (Governing Body) का गठन किया गया है।

उक्त समितियों के गठन के पश्चात् अभी तक शासी निकाय की एक, संचालन समिति की पांच तथा कार्यकारिणी समिति की छः बैठक आयोजित की गई हैं।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 में राज्य प्राधिकरण के निधि (कैम्पा निधि) के एन.पी.व्ही. तथा ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैंः -

- एन.पी.व्ही. की 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन पर व्यय।
- एन.पी.व्ही. की 20 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव संबंधी अद्योसंरचना को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण आदि पर व्यय।
- वन विभाग के केवल वन रेंज अधिकारियों तक के अधिकारी के आवास एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण।
- वाहन क्रय, चिड़िया घर एवं वन्यजीव सफारी की स्थापना/ उन्नयन पर प्रतिबंध।
- ब्याज की 60 प्रतिशत तक की राशि से क्षतिपूर्ति रोपण/ दाण्डिक प्रतिपूर्ति वनीकरण/ वन्यजीव प्रबंधन के मूल्य वृद्धि, वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित कार्य का संपादन।
- ब्याज की 40 प्रतिशत तक की राशि से राज्य प्राधिकरण के गैर अनावर्ती और आवर्ती व्यय।

प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित क्षतिपूर्ति रोपण, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यों को सम्मिलित करते हुये वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) तैयार किया जाता है। इस ए.पी.ओ. को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षण कर राज्य स्तरीय संचालन समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा इस ए.पी.ओ. के आवश्यक परीक्षण पश्चात अनुमोदन एवं अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधानो के अनुसार अनुमोदन हेतु लेख किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के नियम अनुसार ए.पी.ओ. का अनुमोदन किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी -

सूचना प्रौद्योगिकी तकनीको का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)-सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में जी.आई.एस. तकनीक का प्रयोग वन क्षेत्रों के नक्शों के निर्माण एवं संधारण के लिये किया जाता है। वन खण्डों के मानचित्रों का डिजिटाईजेशन वनखण्डों के मूल मानचित्रों एवं राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा का उपयोग कर नक्शे तैयार किये गये हैं। 63 वनमण्डल में से 33 के परिष्कृत मानचित्र तैयार किये गये हैं एवं कार्य आयोजना में समायोजन किया जा चुका है एवं 30 वनमण्डलों के वनक्षेत्रों के मानचित्रों का सुधार कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

   विभाग द्वारा मानचित्रों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के लिये जी.आई.एस. पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है एवं समस्त मानचित्र वेब मैप के माध्यम से वनमंडलों एवं कार्य आयोजना इकाईयों ऑनलाईन प्रदान किया जा रहा है। मैप आई.टी. के माध्यम से अन्य शासकीय संस्थाओं को भी डेटा प्रदाय किया जा रहा है।
2. नक्शो की गुणवत्ता सुधार के लिये मोबाईल जी.आई.एस. का भी उपयोग किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 2 मोबाईल ऐप विभाग द्वारा संचालित हैं Survey 123 एवं Collector for ArcGIS ये दोनों एप विभागीय

पोर्टल से संचालित होती हैं एवं डेटा रियल टाईम में पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन देखा जा सकता है।

3. विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मंडलों के थ्री डी मानचित्र वनों के भीतर विभिन्न वानिकी गतिविधियों के लिए क्षेत्र चयन हेतु आई टी शाखा द्वारा डिजिटल एलीवेशन माडल की आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मंडलों के थ्री.डी. मानचित्रों/ decision support system का निर्माण कर http:// intranet.mpforest.gov.in/ Publicdomain/ atlas/ index.html पर उपलब्ध कराया गया है।

4. **विभाग के उपयोगी एप्लीकेशन -**

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा एवं वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने के सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) के एप्लीकेशन, वन विभाग में ई.-टेण्डरिंग एवं सामग्री का इलेक्ट्रानिक क्रय के एप्लीकेशन के साथ-साथ निम्नांकित प्रणालियां विकसित की गई है-

सिम्प्लीफायर near real time fire monitoring system -

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा नासा के सैटेलाईट से प्राप्त near real time fire डेटा को मानचित्र में अंकित करने की प्रणाली विकसित की गई है, जो सिम्प्लीफायर के नाम से उपलब्ध कराई गई है।

इसके उपयोग से वन तथा राजस्व क्षेत्रों में लगी अग्नि के बारे में त्वरित जानकारी प्राप्त होती है जो वन अग्नि प्रंबधन हेतु उपयोगी है। जानकारी को राज्य, वृत्त, वन मंडल, रेंज, बीट, तथा कम्पार्टमेंट के लेवल पर देखा जा सकता है।

फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 -

भारतीय वन सर्वेक्षण के पोर्टल फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3ण्0 की सहायता से वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रजिस्ट्रड मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है।

कान्ट्रेक्टर पंजीयन प्रणाली -

वन विभाग के विभिन्न काष्ठागारों में काष्ठ की नीलामी प्रक्रिया को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित करने हेतु इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों एवं मध्यप्रदेश के समस्त विनिर्माता/ व्यापारी/ उपभोक्ता/ फुटकर विक्रेता द्वारा ऑनलाईन पंजीयन एवं किया जाता है। क्रेताओं के द्वारा पंजीयन राशि के आनलाइन भुगतान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ट्रेजरी के पेमेन्ट गेटवे का इन्ट्रीगेशन का कार्य किया गया। पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये आवश्यक दस्तावेजों एवं भुगतान का परीक्षण वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाकर क्रेताओं को प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जाता है जिसे क्रेता इस प्रणाली में लागइन कर डाउनलोड कर सकते हैं।

डिपो पंजीयन प्रबंधन प्रणाली -

इस एप्लीकेशन की सहायता से डिपो द्वारा आॅन-लाईन काष्ठ के डिपो रेट की प्रविष्टि, नीलाम दिनांक की प्रविष्टि, काष्ठ का मापन, ग्रेडिंग, स्टेक निर्माण, लाट निर्माण इत्यादि कार्यों को किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवहन अनुज्ञा-पत्र प्रणाली -

NTPS पोर्टल का निर्माण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भातर सरकार के द्वारा किया गया है। यह एक वर्क फ्लो पर आधारित एप्लीकेशन है जिसे डेस्कटाप एवं मोबाईल संस्करण उपयोग के लिए उपलब्ध है। इन दोनों प्रकार के सस्करणों की सहायता से आवेदक निजी भूमि पर उगाई जा रही प्रजातियों के लिए Transit Permit (TP) या No Objection Certificate (NOC) के लिए आवेदन कर सकता है। Transit Permit (TP) का भुगतान वेब पोर्टल या मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक सभी 16 वृत्तों के विभिन्न वनमण्डलों को सूचना प्रौद्योगिकी शाखा

द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तथा दिनांक 01ण्08ण्2021 से पूरे प्रदेश में उक्त प्रणाली का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

अन्य प्रणालियां निम्नानुसार है :-

(1) फारेस्ट आर्फेस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS)
(2) वन अपराधी डेटाबेस
(3) अधिकारी कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली
(4) प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS)
(5) रोपणी प्रबंधन सूचना प्रणाली
(6) डिपो पंजीयन प्रबंधन प्रणाली
(7) राष्ट्रीय परिवहन अनुज्ञा-पत्र प्रणाली
(8) गैर वन-भूमि अनापत्ति प्रमाण पत्र (फारेस्ट आनलाइन एन.ओ.सी)
(9) वन मंडल अधिकारी कार्य निष्पादन प्रणाली
(10) आजादी का अमृत महोत्सव प्रणाली
(11) वन राजस्व संग्रहण प्रणाली

मध्यप्रदेश प्लांट बायोडाइवर्सिटी सर्च इंजन -

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त, फायर एटलस, कंटूर मानचित्रों का एटलस फायर एटलस जल स्रोत्रों के मानचित्र का एटलस तथा हिलशेड मानचित्रों का एटलस का भी निर्माण किया गया है।

वन संरक्षण -

लगातार बढ़ती जा रही आबादी और उसकी आवष्यकताओं एवं आकांक्षाओं में होने वाली सतत् बढ़ोत्तरी के कारण प्रदेष के जैविक संसाधनों विषेषकर वनों, वन भूमि एवं वन्य जीवों का संरक्षण लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वर्ष 2008 के पश्चात वन अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कृषि हेतु भूमि की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। कुछ बहुमूल्य प्रजातियों जैसे सागौन, खैर आदि की बाजार में बढ़ती मांग के कारण उनकी अवैध कटाई एवं तस्करी संगठित अपराध का रूप लेने लगी है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, क्षेत्रीय इकाईयों की प्रतिबद्धता तथा स्थानीय जिला एवं पुलिस प्रषासन के सहयोग से वन एवं वन्यजीवों से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर ईमानदार प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके वांछित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के साथ ही सामूहिक गश्ती हेतु वन चैकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2021 की स्थिति में 329 वन चैकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चैकी में गश्ती हेतु शासकीय अथवा अनुबंधित वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत हैं। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 वाहिनियों, क्रमश: 8 वीं वाहिनी - छिन्दवाड़ा, 15 वीं वाहिनी - इन्दौर तथा 26 वीं वाहिनी - गुना के 221 सषस्त्र अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं जिन्हें 14 संवेदनषील वनमण्डलों में संलग्न किया गया है। परिक्षेत्र स्तर पर 450, वन चैकी हेतु 10 एवं वृत्त स्तरीय उड़नदस्ता दल हेतु 15 वाहन, कुल 475 वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

वन सुरक्षा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग -

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है। साथ ही समस्त क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी वनमण्डलों को एफ ओ सी आर पंजी के स्थान पर "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) पर ही प्रकरण दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है।

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली -

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है।

अग्नि घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा विकसित "वन अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली" (फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम) विकसित की गई है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे है।

वन अपराध प्रबंधन प्रणाली में दर्ज अग्नि घटनाओं के 6700 प्रकरणों में 22608 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

मध्यप्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन:-

मध्यप्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा-च में संशोधन किया है जो मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 जनवरी 2022 के रूप में अधिसूचित हुआ है। इस संषोधन के उपरान्त ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो घरेलू मूल की लकड़ी के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते है या जो 30 से0मी0 व्यास के अधिक के चक्राकार आरे या बेण्ड सॉ या री-सॉ के बिना प्रचालन करते है एवं प्रतिशिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थापित है उन्हे इस अधिनियम के अंतर्गत आरामिल की अनुज्ञप्ति लेने की आवष्यकता नहीं होगी।

ऐसे उद्योग या प्रसस्करण संयंत्र जो चिरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी, ब्लाक बोर्ड, मीडियम डेनसिटी फाईबर -बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद या राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लट्ठे या इमारती लकड़ी का उपयोग करते है, के लिए भी अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

उपरोक्त संशोधन के उपरान्त मध्यप्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी एवं इन उद्योगों की मांग की पूर्ति के लिये वन क्षेत्रों से बाहर वृक्षारोपण गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्पादन -

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ एवं बांस का वनवर्धन के दृष्टिकोण से विदोहन किया जाता है। साथ ही वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक निस्तार की व्यवस्था की जाती है। उत्पादन शाखा द्वारा लोकवानिकी तथा मालिक मकबूजा के अन्तर्गत कृषकों द्वारा वन विभाग के डिपो में लाई गई काष्ठ के भुगतान की व्यवस्था भी की जाती है ।

राज्य की वर्तमान पुनरीक्षित निस्तार नीति 10 मार्च 2019 से लागू है। इससे पूर्व यह नीति 01 जुलाई 1996 को पुनरीक्षित की गई थी। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है जिन्हें घरेलू उपयोग के लिये बांस छोटी ईमारती लकड़ी (बल्ली) हल, बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इस हेतु राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित है। इसके साथ-साथ स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है राज्य में 24058 बसोड़ परिवार पंजीकृत है बसोड़ परिवारों को रॉयल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे ही बेगा आदिवासियों तथा अन्य ऐसे समुदायों, जो बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। म0प्र0 शासन के पत्र क्रमांक एफ-07-02/ 2006/ 10-3, दिनांक 10 मार्च 2019 द्वारा पान बरेजा परिवारों को निस्तार नीति में सम्मिलित करते हुये निस्तार दर पर बांस प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वन्यप्राणी प्रबंधन -

प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंधन वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र -

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11281.608 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 वन्यप्राणी अभयारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 06 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिज़र्व्स अधिसूचित हैं। इन 06 टाइगर रिज़र्व्स का कोर ज़ोन 4773.638 वर्ग कि.मी. तथा बफर ज़ोन 5400.602 वर्ग कि.मी. है। डिण्डौरी जिले के घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा, भोपाल में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर, जिला सतना में व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। प्रदेश के रायसेन जिले में प्रदेश का पहला डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। बाघ, बारासिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्यप्राणी प्रजातियां हैं।

वन्यप्राणी संरक्षण:-वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाईयों एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों की है। इनकी सहायता के लिए प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई है :-

- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिए राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र क्रमशः इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित है।
- वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वाड्स की संख्या **10** से बढ़ाकर **15** की गई है।
- प्रदेश में वन्यप्राणियों के विरूद्ध हुये अपराधों में कारगर अन्वेषण, अपराधियों एवं वन्यप्राणी सामग्री की खोज के लिये **16** प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड्स का गठन किया गया है। इससे वन्यप्राणी अपराधों के अन्वेषण में अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त हुई हैं।
- म.प्र. वन विभाग के वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के विशेष प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रदेश के पांच स्थानों क्रमशः जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद सतना में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय **STSF** के द्वारा पंजीकृत अपराध प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। प्रत्येक न्यायालय म**sa ACJM** स्तर के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।, सागर एवं
- टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित **56** परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चैकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरण प्रदाय किये गये हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए **10** पशु चिकित्सकों का पृथक कैडर कार्यरत है।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत स्कूल आॅफ वाइल्ड लाइफ फाॅरेंसिक एंड हेल्थ वन विभाग की सहायता से संचालित है।

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद्व कम करने के प्रयास :-

वन्यप्राणियों से जन हानि होने पर राहत राशि का भुगतान :- वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना। राहत राशि के भुगतान के लिए आवश्यक पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं -

- जन-हानि (मृत्यु) वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा हुई हो (यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, **1972** में दी गई परिभाषा से है)
- आवेदनकर्ता मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी/ परिवार का सदस्य/ रिश्तेदार हो।

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, **2010** के तहत वन्य प्राणियों से जन हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीन कार्य दिवस है।

वन्यप्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि का भुगतान - वन्य प्राणियों से घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना ।

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	राहत राशि
1	वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि होने पर	रूपये **8,00,000** (आठ लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
2	स्थायी विकलांगता होने पर	रूपये **2,00,000** (दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय
3	जनघायल होने पर	इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती रहने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये **500/-** प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रूपये **50,000/-** (पचास हजार) तक होगी)

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, **2010** के तहत वन्य प्राणियों से जन घायल होने पर राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से सात कार्य दिवस है।

वन्य प्राणियों से पशु-हानि एवं पशुघायल हेतु राहत राशि का भुगतान -

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र -वन्य प्राणियों द्वारा घरेलू निजी पशुओं को मारे जाने पर पशु मालिकों को प्रति मवेशी आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध करवायी जाती है तथा वन्यप्राणियों से पशुघायल होने पर शासन के आदेश क्रमांक/ एफ **15-13/ 2007/ 10-2,** दिनांक **29** अप्रैल, **2016** के अनुसार प्रभावित लोगों को वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशुहानि हेतु देय मुआवजा राशि की **50** प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया-सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि -

- निजी पशु मारे जाने/घायल किये जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के **48** घंटे के अंदर दी गई हो।
- मारे गये मवेशी/ पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो।

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, **2010** के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवस है।

वन्यप्राणियों से फसल हानि का मुआवजा -

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, **2010** के तहत् वर्तमान में सेवा क्रमांक **4.6** में राजस्व विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से किसानों की फसलों को पहुंचाई जाने वाली हानि का मुआवजा **30** कार्य दिवसस में दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत हानि का आंकलन राजस्व विभाग में प्रचलित प्रक्रिया अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है।

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव-वन्यप्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, **1972** के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनस्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों के चिन्हित ग्रामों का भी पुनस्थापन किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु रूपये **15.00** लाख प्रति

पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिए राशि का निर्धारण किया जाता है। इसके लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हो रही है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनस्र्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। पर्यटन कैबिनेट के निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर अंदरूनी वन क्षेत्र में स्थित ग्राम को भी उनकी सहमति प्राप्त होने पर अन्य पुर्नस्थापित किया जा सकता है।

वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन -

अखिल भारतीय बाघ आंकलन **2018** के परिणाम **29** जुलाई **2019** को घोषित किये गये जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में **526** बाघ आंकलित किये गये हैं और मध्य प्रदेश ने भारत में बाघों की संख्या के अनुसार प्रथम स्थान पर रहते हुए पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश में बाघो की संख्या भारत के कुल आंकलित बाघों की संख्या **2967** की लगभग **18** प्रतिशत पायी गयी है। इसके पूर्व वर्ष **2014** के आंकलन में मध्यप्रदेश में **308** बाघ आंकलित किये गये थे। विगत वर्षों में किये गये प्रबंधकीय प्रयासों का परिणाम है कि न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु बाघों की उपस्थिति वाले वन क्षेत्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष **2014** में प्रदेश के **714** बीटों में बाघ की उपस्थिति के चिन्ह पाये गये थे जबकि वर्ष **2018** में बाघों के चिन्ह **1432** बीटों में मिले हैं।

वन विभाग द्वारा प्रदेश में प्रथम बार वर्ष **2016** में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से संकटग्रस्त प्रजातियों के गिद्धों की गणना की गई थी जिसके अंतर्गत प्रदेश में **7** प्रजाति के लगभग **7000** गिद्ध पाये गए थे तथा वर्ष **2018-19** में भी प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना कराई गई जिसमें लगभग **8300** गिद्ध पाये गये हैं। इसी के तारतम्य में वर्ष **2020-21** में भी प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना संकटग्रस्त गिद्धों के संरक्षण में भविष्य में नींव का पत्थर साबित होगी।

टाइगर रिजर्व का प्रबंध -

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, **1972** की धारा **38**ट (**4**) (पप) के अन्तर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का वह बहुउपयोगी क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनाये जाने वाले टाइगर कंज़र्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते हैं।

अन्य अभयारण्यों/ राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यप्राणी प्रबंधन -

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में **10** वर्षीय प्रबंधन योजना बनाकर वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य किये जाते हैं।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध -

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु राज्य योजना प्रचलित है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन -

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय एंव पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक **01.10.2017** से बफर क्षेत्रों में भी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शिका के उपबंधों के अधीन टाइगर रिज़र्व में पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र **20** प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित है एवं उक्त के अनुरूप टाइगर रिज़र्व्स के कोर क्षेत्रों में पर्यटन हेतु पर्यटक वाहन धारण क्षमता निर्धारित की गई है।

मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी -

मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष **1997** में नवाचार करते हुये मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत की थी। यह गैर शासकीय संगठन जन सहयोग एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण का कार्य करता है।

वन शहीद दिवस -

प्रतिवर्ष **11** सितम्बर को वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा कार्य के दौरान आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़, वन्यप्राणीयों द्वारा हमले, अग्नि दुर्घटना आदि जैसी विषम परिस्थितियों में अपनी जान गवाने वाले वन विभाग के समस्त व्यक्तियों के बलिदान को राज्य स्तर पर मान्यता देते हुये उनके प्रथम आश्रित को रू. **1,00,000/-** एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मनित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

कार्य आयोजना -

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में **16** क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर कार्य आयोजना इकाईयां स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन आंचलिक कार्यालय स्थापित किये गये है।

वन भू-अभिलेख -

संरक्षित एवं आरक्षित वनों का गठन -

आरक्षित वन गठित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, **1927** की धारा **4** से **20** तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, **1927** की धारा **29** के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है। वन (संरक्षण) अधिनियम, **1980** के अन्तर्गत गत एक वर्ष में वनभूमि के व्यपवर्तन की जारी अनुमति के फलस्वरूप प्राप्त गैर वनभूमियों को भारतीय वन अधिनियम, **1927** की धारा-**29** के तहत वर्ष **2019-21** में **48** वनखण्डों का रकबा **2872.490** हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि की अधिसूचनाऐं म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं।

असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, **1927** की धारा **4** में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

वन व्यवस्थापन -

भारतीय वन अधिनियम **1927** की धारा-**4** के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वनखण्डों की धारा **5** से **19** तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। वर्ष **1988** से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया।

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तितन करना -

मध्य प्रदेश के **29** जिलों में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रण के **925** वनग्रामों में से वीरान, विस्थापित, अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित कुल **98** वनग्रामों को छोड़कर शेष **827** वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

वन अधिकार अधिनियम, **2006** के प्रावधानों के तहत अन्य राज्यों की भाँति प्रदेश के **827** वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने बावत् दिनांक **07.03.2019** को अपर मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन (विधि विधायी कार्य विभाग) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन (राजस्व विभाग) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई जिसमें वन अधिकार अधिनियम, **2006** के तहत वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 -

वन अधिकार अधिनियम**, 2006** के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है।

राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों के अन्तर्गत वन ग्रामों एवं राजस्व ग्रामों के विस्थापन उपरान्त पुर्नस्थापित ग्रामों की वनभूमि का स्वरूप राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम**, 1927** की धारा **34** (अ) एवं धारा **27** की अधिसूचनायें मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसी प्रकार विस्थापित राजस्व ग्रामों की रिक्त राजस्व भूमि का स्वरूप वन भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में भारतीय वन अधिनियम **1927** की धारा **29** एवं धारा **4** के तहत अधिसूचनायें मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की गई हैं ।

समन्वय -

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के विभागीय कार्यो का संपादन मे समन्वय के कार्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम **2010** का क्रियन्वयन विभाग द्वारा सफलता पूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाईन होने के परिणामस्वरूप इसका सतत अनुश्रवण प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

———